संख्या-488/2023/417/22-2-2023-17(1614)/2022

प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 09 अगस्त, 2023

विषयः- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुलेमान पुत्र श्री रसूल, डुमरी मलाव, थाना-हाटा, जनपद-कुशीनगर की स्थायी नीति के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक(मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0-7554/प्रो0/214/ पार्ट-3 दिनांक 06-03-2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुलेमान पुत्र श्री रसूल, डुमरी मलाव, थाना-हाटा, जनपद-कुशीनगर का रहने वाला है, बन्दी द्वारा दिनांक 16-06-2002 को अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर चन्द्रशिला नामक 13 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार करने के उपरान्त उसकी हालत बिगड़ी एवं इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस0टी0नं0-23/2003 में भा0द0वि0 की धारा-302, 376/120 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0-2, स्थान पडरौना के आदेश दिनांक 20-06-2002 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 21-06-2022 तक 20 वर्ष 02 दिन की अपरिहार सजा तथा 25 वर्ष 05 माह 15 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। दयायाचिका समिति ने बन्दी द्वारा लड़की के साथ निर्ममता पूर्वक बलात्कार कर उसकी हत्या करना, घृणित एवं जघन्य व स्त्री जाति के व्यक्तित्व के विरूद्ध ही नही अपितु समग्र समाज के विरूद्ध किया गया अपराध है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा एवं जनहित प्रभावित होगा। अतएव बन्दी द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता तथा समाज को प्रभावित करने वाले अपराध के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी सुलेमान (बन्दी संख्या 25/2015) पुत्र श्री रसूल, निवासी जनपद कुशीनगर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
मदन मोहन
विशेष सचिव

संख्या-488/2023/417(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कुशीनगर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी
3- निजी सचिव मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार, उ0प्र0 को मा0 मंत्री के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार, उ0प्र0 को मा0 मंत्री के सूचनार्थ।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित रिट याचिका(कि0)सं0-336/2019 रसीदुल जफर उर्फ छोटा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06-09-2022 के सन्दर्भ में।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in